न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 55/2025   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/86**
दायर दिनांक :– 10.03.2025   **निर्णय दिनांक :– 03.06.2025**

1. पुनाराम पुत्र भोमाराम जाति भील निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. रूपेश कुमार पुत्र अनोपाराम जाति मीणा निवासी रामदेव कोलोनी, जालोर जिला जालोर
3. गुलाबाराम पुत्र भोमाराम जाति भील निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 168/1 रकबा 8.4417 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 168 रकबा 5.5280 हैक्टेयर सरहद मौजा रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की उक्त भूमि की तरमीम बिना किसी विधिक आदेश सेग्रीकेशन योजना के तहत बिना मौका निरीक्षण किये ही व प्रार्थी को सूचित किये बगैर ही सरासर गलत तरीके से नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के कब्जा काश्त के विपरित करवादी जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि खेत खसरा नम्बर 168/1 रकबा 8.4417 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 168 रकबा 5.5280 हैक्टेयर सरहद मौजा रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी भूमि की भू–नक्शा में की गई विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थी के कब्जा व काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार घंटियाली ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील

03/6/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

घंटियाली जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 168/1 रकबा 8.4417 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 168 रकबा 5.5280 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाता है तो कोई उजर एजराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 168/1 रकबा 8.4417 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 168 रकबा 5.5280 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का रोहिणा एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 168/1 रकबा 8.4417 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 168 रकबा 5.5280 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का रोहिणा एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/6/25

([illegible] R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)